



2931

दूरध्वाम - 2280700  
2280710  
नव बेतना केन्द्र, 10 अशोक नगर, लखनऊ 220001

## राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

पत्रांक : 2196 / 05 / 76 / एक / 2015-16  
संदेश में

दिनांक : 25 अगस्त 2015

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभियान  
जनपद-रामपुर।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (हूडा) को अल्पसंख्यक वाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में स्थीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभियान द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक वाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में इण्टरलाइंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
पंजाब नेशनल बैंक	0932000105034436	IFSC Code PUNB0093200	20.339

(धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वाड़ का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	रामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०३० रामपुर	मो० चानागंज में दो महला रोड के पारा डा० इस्माईल के मतब से ताज पैलेस होते हुए चुक सामिया के मजार तक व डा० सुहैबरजा खां के कलीनिक के पास पुलिया तक इण्टरलाइंग रोड व नाला निर्माण कार्य।	20.339
	योग				20.339

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक वाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में रु०१०८०० रोड अथवा इण्टरलाइंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु रघीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रथम किश्त आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य आरम्भ होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दराम में सम्बन्धित फोटोग्राफी में रखा जायें।

- १- उ०प्र० राजकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुसार शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक वाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में सी०८०० रोड अथवा इण्टरलाइंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु रघीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रथम किश्त आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य आरम्भ होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दराम में सम्बन्धित फोटोग्राफी में रखा जायें।
- २- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देवर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेक्स्ट पर कर लिया जाये।
- ३- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर राजम स्तर से राजनीकी स्थीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्परतात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- ४- अवमुक्त की जा रही धनराशि के रामपेश यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य राजकार अथवा किसी अन्य ओत्र से धनराशि स्थीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्बन्धित है जिससे कि शासकीय पन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभियान मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- ५- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनाये या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्थीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- ६- प्रश्नगत परियोजनाओं में रघीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तापुरितका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।





293/2

दूसरा 2206709  
2206710

नव घेटा कोन्डा, 10 अशोक नगर, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 7- परिसम्पत्तियों के सूजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रथ-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सूजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवरोध धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवरोध धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवगुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि लूटा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित गद में व्यय की जायेगी एवं रूपीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व व्यानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कठीनी सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिवन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित गानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवगुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कारों में यदि कार्य/धनराशि को दैरावृति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण गुणवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संघुका रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगामन के सापेक्ष प्रथम किश्त की 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टरल की धनराशि रोकफर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवगुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल प्रताप रिहं)

वित्त नियन्त्रक

(लाल प्रताप रिहं)

वित्त नियन्त्रक

## पत्रांक एवं दिनांक तादैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
- अपर निदेशक, सूडा।।।
- अधिकारी अधिकारी-सूडा
- कम्प्यूटर सेल / लेखा विभाग-सूडा।।।